-प्रेस नोट-

दिनांक- 28.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ "महिला को गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस कार्यवाही में लगी गोली" 01 बदमाश घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 03 खोखा/03 जिन्दा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धर पकड़ हेतु लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 28.01.2024 की प्रातः जब थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा कस्बा अम्बहेटा में बाईपास गंगोह रोड पर गश्त की जा रही थी तभी सामने से 01 बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल पर 03 व्यक्ति आते दिखायी दिये। मोटर साइकिल पर नम्बर प्लेट न होने की वजह से संदिग्धों को पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया, इस पर मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अचानक से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी तथा मोटर साइकिल से कस्बा अम्बहैटा की तरफ भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाशों की मोटर साइकिल अम्बहैटा कब्रिस्तान के पास फिसलकर गिर गई। जब पुलिस टीम बदमाशों को पकड़ने के लिये बदमाशों के नजदीक पहुँची तो बदमाशों द्वारा पुनः जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी है जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है व इसके अन्य दो साथी घने कोहरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे । घायल बदमाश की पहचान **फैजान पुत्र नवाब निवासी नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई है । यह बदमाश थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में ग्राम टिडौली में गोली मारकर एक महिला को घायल कर देने व मारपीट के अभियोग का वांछित अभियुक्त है । गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार अभियुक्तों की तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है । मौके से 01 तमंचा व 03 खोखा/03 जिन्दा कारतूस तथा 01 मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट (स्पलेन्डर रंग सिल्वर) बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 18/2024 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त फैजान उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने व मेरे दो साथियों ने जो भाग गये है, 26.01.2024 तारीख को ग्राम टिडौली में हम तीनो का झगड़ा गांव के ही सुहेल व वासिल के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए हम तीनो ने योजना के तहत दबंगाई दिखाते हुए जान से मारने की नियत से सुहेल व वासिल के ऊपर गोली चला दी थी, लेकिन वहा एक महिला को गोली के लग गई थी और हम तीनो वहां से भाग गये थे। फिर हमे पता चला कि पुलिस हमारी तलाश कर रही है, इसलिए आज हम छुपते छुपाते हुए कही भागने की फिराक में थे। और हम तीनों कोहरे का फायदा उठाकर जिला छोड़कर जा रहे थे, तभी पुलिस टीम को सामने से आता देख हम तीनों ने पकड़े जाने के डर से पुलिस टीम पर जान से मारने के इरादे से फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मेरे एक गोली लग जाने के कारण मैं घायल हो गया था और पकड़ा गया । मेरे दोनो साथी भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता:-

1. फैजान पुत्र नवाब निवासी नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा व 03 खोखा/03 जिन्दा कारतूस .315 बोर

01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट

अभियुक्त फैजान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 17/24 धारा 307/323/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 325/23 धारा 3/21/07 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिहं भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुऱ
3. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1021 मतीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 587 प्रदीप मावी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 348 कुलदीप थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 28.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 130 पाउच (58 पाउच तोहफा मार्का तथा 72 पाउच महबूबा मार्का) देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण,अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान **01अभियुक्ता श्रीमति रेखा पत्नी पिन्टू निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम कुरडीखेडा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 130 पाउच देशी शराब (58 पाउच तोहफा मार्का तथा 72 पाउच महबूबा मार्का) बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 09/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवशय्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

श्रीमति रेखा पत्नी पिन्टू निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

130 पाउच देशी शराब तोहफा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनीत चौधरी
2. है0का0 745 दीपक मावी
3. का0 2469 दीपक कुमार
4. म0का0 213 ज्योति

दिनांक- 28.01.2024

-प्रेस नोट -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.01.2024 को 03 **वारंटी अभियुक्तगण 1. अहसान पुत्र अय्युब नि0 ग्राम शाहपुरा दाउद थाना चिलकाना सहारनपुर 02. इकराम पुत्र मोहम्मद हसन निवासी ग्राम शाहपुरा दाउद थाना चिलकाना सहारनपुर 03.मौ0 अली उर्फ भूरा पुत्र दीन मौहम्मद निवासी ग्राम रावणपुर बुजुर्ग थाना चिलकाना सहारनपुर को उनके घर** से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.अहसान पुत्र अय्युब नि0 ग्राम शाहपुरा दाउद थाना चिलकाना सहारनपुर।
2.इकराम पुत्र मोहम्मद हसन निवासी ग्राम शाहपुरा दाउद थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मौ0 अली उर्फ भूरा पुत्र दीन मौहम्मद निवासी ग्राम रावणपुर बुजुर्ग थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0 नि0 राजेन्द्र गिरी थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. हे0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 461 सोनु तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. का0 1821 टिकू यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक- 28.01.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे आज दिनांक 28.01.2024 को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से उपनिरीक्षक मधु, म0का0 1132 सरिता, की उपस्थिति में काउन्सलर श्रीमति सुरभि सिंह व शाहिद अहमद के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 07 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 05 प्रकरणों मे दोनो पक्ष उपस्थित आये व 02 प्रकरणो में दोनो पक्षों में से कोई भी पक्ष उपस्थित नही हुयें। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 01 पक्ष मे समझौता कराया गया व 01 पक्ष में अभियोग पंजीकृत होने के कारण पत्रावली बन्द की गयी ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साईबर सैल, सहारनपुर पुलिस द्वारा साईबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के शत-प्रतिशत 96,600/- रूपये पीडित के खाते में कराये गये वापस।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2023 को शिकायतकर्ता सोनू उर्फ सुमित पुत्र कृष्णपाल निवासी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथ इनवेस्टमेंट के नाम पर हुई 96,600/- रूपये की ठगी के सम्बन्ध में शिकायत संख्या 23110230095551 पंजीकृत कराई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद के नेतृत्व मे थाना देवबन्द पर गठित साईबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.01.2024 को पीडित सोनू उर्फ सुमित पुत्र कृष्णपाल निवासी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के इनवेस्टमेंट के नाम ठगे हुए **96,600/- रूपये** को त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त धनराशि होल्ड करायी थी। मा0 न्यायालय से विधिक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 28.01.2024 को साईबर सेल देवबन्द सहारनपुर द्वारा पीडित की साईबर ठगी में गई पूरी धनराशि उसके खाते में वापस कराई है। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साईबर टीम का आभार व्यक्त किया गया है।

साईबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साईबर पुलिस टीमः-

1. धर्मेन्द्र गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द सहारनपुर
2. व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. कम्प0 आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

CAUTION- **किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर पर अपनी 1930शिकायत दर्ज कराये।**

दिनांक: 28-01-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की रोकथाम एवं अवैध शराब के कोरबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त **आकाश पुत्र किशनलाल निवासी गली नंशारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 9-0** को कमेला रोड की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 11 बोतल देशी शराब रसीला संतरा मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त आकाश के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 15/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आकाश पुत्र किशनलाल निवासी गली नं0-9 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

11 बोतल देशी शराब रसीला संतरा मसालेदार हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 08/16 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 25/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. मु0अ0स0 26/17 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु0अ0स0 190/16 धारा 398/401 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. मु0अ0स0 191/16 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
6. मु0अ0स0 448/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
7. मु0अ0स0 09/21 धारा 398/401 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
8. मु0अ0स0 11/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
9. मु0अ0स0 230/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
10. मु0अ0स0 91/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
11. मु0अ0स0 15/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 372 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनि0 योगेश चन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी अभि0 **प्रवीण पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम चुन्हैटीगाडा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर** वाद सं0-84/21 मु0अ0स0 धारा 379/323/504/427 भादवि मा0न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रवीण उपरोक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभि0- प्रवीण पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम चुन्हैटी थाना रामपुर मनि0 स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश चन्द्र गौतम थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मुलचन्द थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. हैड का0 584 विकास थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर